–: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद :–

पीठासीन अधिकारी :– देवीलाल यादव (आर.ए.एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :– 201 / 2024

उनवान

1. सीता पत्नी बाबूलाल
2. राजू पुत्र बाबूलाल
3. सुरेश पुत्र बाबूलाल
4. पूजा पुत्री बाबूलाल
5. कमला उर्फ कजरी पुत्री बाबूलाल
6. मनभर पत्नी सावंरिया उर्फ सावंरलाल
7. रामावतार पुत्र सावंरिया उर्फ सावंरलाल
8. विकास पुत्र सावंरिया उर्फ सावंरललाल
9. ज्योति पुत्री सावंरिया उर्फ सावंरललाल
10. लीला पुत्रर सावंरिया उर्फ सावंरललाल
11. आरती पुत्री सावंरिया उर्फ सावंरललाल
12. रेखा पुत्री सावंरिया उर्फ सावंरललाल समस्त जाति रेगर निवासी ग्राम मोराझडी, न्सीराबाद

—— वादीगण :– जरियें अधिवक्ता श्री सीताराम रावत

बनाम

1. सुवा पुत्र लादू जाति रेगर निवासी ग्राम मोराझडी, नसीराबाद
2. अजय कुमार पुत्र सोहन आर्य जाति रेगर निवासी म.न. 4292 कॉलोनी, गोदाम मण्डी, नसीराबाद
3. राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद

——— प्रतिवादीगण :– 1 अनुपस्थित, 2 जरिये अधिवक्ता श्री रणजीत रावत
3 जरियें राज. पैरोकार

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी नसीराबाद (जिला-अजमेर)

–: निर्णय :– दिनांक :– 20/1/25

अधिवक्ता वादीगण ने उक्त वाद पेश कर निवेदन किया कि ग्राम मोराझडी में वादीगण की पुश्तैनी खातेदारी स्थित है, जिसका विवरण निम्न प्रकार है :–

चौसाला खन.	रकबा	वंर्किग ख.न.	रकबा	हाल ख.न.	श्रकबा
963	4–5–0	1055	4–5–0	1314	0.69
964	2–5–0	1056	2–5–0	1309 / 2496	0.12
				1311	0.10
				1312	0.14
965	1–3–10	1057	[illegible]	1313	0.19
966	1–0–10	1058	[illegible]	1315 / 2447	0.17

चौसाला जमाबंदी सम्वत् 2022 से 2025 में उक्त [illegible] राजी के मूल खातेदार [illegible] बाबू,

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 17:18:38 IST
Reason: SelfAttested

—2

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

सावंरिया पि. लादू खातेदार दर्ज थे। जिनकी मृत्यु हो गयी है। रामा के वारिस पत्नी कमला व पुत्र भूण्या उर्फ नौरत की अविवाहित मृत्यु हो गयी हैं बाबूलाल च सावंरिया के वारिस वादीगण ही है। बंदसेबस्त विभाग ने अपने हक व अधिकार से परे जाते हुये उक्त आराजी वंर्किग जमाबंदी व हाल राजस्व अभिलेख में सुवा पुत्र लादू के नाम दर्ज कर दी, जबकि इस नाम का कोई व्यक्ति नही हैं। हाल राजस्व अभिलेख में त्रुटिपूर्ण इन्द्राज के कारण प्रतिवादीगण आराजी मुतनाजा पर वादीगण के कब्जे काश्त में दखलदांजी कर रहे है तथा भूमि को अन्यत्र हस्तांतरण करने पर आमादा है। अतः आराजी मुतनाजा का खातेदार वादीगण को घोषित किया जावे। प्रतिवादीगण को जरियें स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 बावजूद तामीली अनुपस्थित रहे। प्रतिवादी संख्या 2 ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि आराजी मुतनाजा वादी के नाम की जाती है तो उसे कोई आपत्ति नही हैं। राज. पैराकार ने जवाब नही पेश करना जाहिर किया।

प्रकरण में कोई खण्डन नही होने के कारण कोई तनकियात कायम नही की गयी।

अधिवक्ता वादीगण ने वाद के समर्थन में राजस्व अभिलेख पेश किये तथा साक्ष्य नही पेश करना जाहिर किया।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्धान अधिवक्तागण व राज. पैरोकार की बहस पर मनन किया। आराजी मुतनाजा चौसाला जमाबंदी सम्वत् 2022 से 2025 में रामा, बाबू, सावंरिया पि. लादू के नाम दर्ज थी। वंकिग जमाबंदी में उक्त आराजी रामा, सुवा, बाबू, सावंरिया पि. लादू के नाम दर्ज कर दी। वादीगण का कथन है कि सुवा पुत्र लादू नाम का कोई व्यक्ति नही है इसके उपरान्त भी वादीगण के पूर्वज के नाम के साथ आराजी मुतनाजा में सुवा पुत्र लादू का नाम भी अंकित कर दिया गया। वादीगण द्वारा प्रस्तुत नामान्तकरण 141 में लादू पुत्र कालू की विरासत रामा, बाबू, सावंरिया पि. लादू के नाम ही दर्ज की गयी है। प्रतिवादी संख्या 1 प्रकरण में अनुपस्थित रहे है। प्रतिवादी संख्या 2 ने प्रकरण में स्वीकारोक्ति का जवाब पेश किया है। हाल राजस्व अभिलेख में आराजी मुतनाजा सुवा पुत्र लादू के नाम 1/4 हिस्से के रूप में दर्ज है। जबकि चौसाला जमाबंदी समवत् 2022 से 2025 में उक्त आराजी पर सुवा पुत्र लादू के नाम दर्ज नही थी। वादीगण द्वारा प्रस्तुत राजस्व अभिलेख से वाद के कथनों की ताईद होती है। वाद के खण्डन हेतु कोई तथ्य व दस्तावेज पत्रावली पर नही है। अतः आराजी मुतनाजा का हाल इन्द्राज त्रुटिपूर्ण सिद्व होता है।

उक्तानुसार ग्राम मोराझडी के हाल खसरा नम्बर 1309/2446, 1311, 1312, 1313, 1314 व 1315/2447 रकबा क्रमशः 0.12, 0.10, 0.14, 0.19, 0.69 व 0.17 की आराजी पर वादीगण का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है। वादीगण को उक्त आराजी पर सुवा पुत्र लादू के हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता हैं। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 17:18:38 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

डिक्री व मुकदमें इब्ताई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

उनवान

सीता बनाम सुवा

दावा बाबत :– 88, 188 राज. का. अधि0 1955 व 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व मुकदमा नम्बर – 201/2024
पेश करने की दिनांक – 26.09.2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू देवीलाल यादव (आर. ए. एस)--व हाजिर अभिभाषक सीताराम रावत मुद्दई रणजीत रावत व राज0 पैरोकार अभिभाषक मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :–

ग्राम मोराझडी के हाल खसरा नम्बर 1309/2446, 1311, 1312, 1313, 1314 व 1315/2447 रकबा क्रमशः 0.12, 0.10, 0.14, 0.19, 0.69 व 0.17 की आराजी पर वादीगण का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है। वादीगण को उक्त आराजी पर सुवा पुत्र लादू के हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता हैं। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक---- ---- को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 20 माह 1 सन् 2025 को जारी की गयी।

मुददई	मुदायला
स्टाम्प अरजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत मेहनताना वकील फीस कमिश्नर खर्चा गवाहान बाबत् इजराय हुक्मनामा मुतफरिक	स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अरजी मेहनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत् इजराय हुक्मनामा मुतफरिक
मिजान	मिजान

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 17:18:38 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद